अपील सूचना अधिकार संख्या 01/2021 (GCMS 2021/01) रणवीर सिंह पुत्र श्री जयमल राम सिहाग निवासी वीपीओ नेतेवाला जिला श्रीगंगानगर बनाम अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर

01.02.2021

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी रणवीर सिंह स्वयं एवं अप्रार्थी की ओर से श्री सत्यनारायण मोदी उपस्थित हुए।

अपीलार्थी श्री रणवीर सिंह ने कथन किया कि उसने लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर प्रशासन से सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 30.06.2020 से तीन बिन्दुओ की सूचना कोष कार्यालय से सूचना चाही थी। श्रीमान जिला कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्र दिनांक 17.11.2020 के अनुसार उसे 1500/– जमा कराने की सूचना दी गई, जिसकी पालना में उसने दिनांक 24.11.2020 को जरिये पोस्टल ऑर्डर राशि 1500/– जमा करवा दिये परन्तु उसे आज दिनांक तक लोक सूचना अधिकारी ने सूचना नहीं दी। इसलिए उसे वांछित सूचनाएं निःशुल्क उपलब करवाई जावे एवं जमा करवाई हुई राशि वापिस दिलवाई जाने की प्रार्थना की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी रणवीर सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 30.06.2020 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं से निम्न सूचना चाही थी :

1. अति. जिला कलक्टर (प्र.), श्रीगंगानगर से निम्न सूचनाएं वांछित है :
   क. 15.09.15 ये 25.07.19 तक के पारित बिलों की प्रमाणित प्रति।
2. लेखा नियम के नियम 11(3) दिनांक 11.09.13 लागू होने पर वर्ष 2015–16 से 2018–19 तक जिले के कितने डीडीओ के द्वारा प्रमाण पत्र जारी किये गये है, प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति।
3. बजट मद 2071 के कोष कार्यालय में प्राप्त बिलों की पंजिका वर्ष 2015–16 से 2018–19 तक

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक कोष/गंगा/2020–21/752 दिनांक 01.02.2021 से प्रार्थी को निम्नानुसार सूचना उपलब्ध करवाई है :

> उपर्युक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा चाही गई सूचना क्रम संख्या 1 की प्रमाणित प्रतियां (स्क्रोल रजि.) तैयार कर आपको भिजवाई जा रही है। पावती रसीद भिजवाने का श्रम करें। क्रम संख्या 2 व 3 की सूचना इस कार्यालय में संधारित नहीं है।
>
> **संलग्न उपरोक्तानुसार**
>
> कोषाधिकारी
> श्रीगंगानगर

चूंकि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 30.06.2020 के सम्बन्ध कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 01.02.2021 से उनके पास उपलब्ध अभिलेख में से प्रार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी हैं। **इसलिए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील खारिज करने योग्य है।**

अतः उक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। **आदेश की कोषाधिकारी,** श्रीगंगानगर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 01.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद वर्मा)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर